प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.10.2024

सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर व थाना निवाडी पुलिस द्वारा ओयो होटल में अनैतिक देह व्यापार कराने वाला होटल सह-संचालक व 02 अन्य गिरफ्तार, मौके से 01 क्यू आर कोड, 01 एंट्री रजिस्टर, 4890/- रुपये नगद व आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद।

दिनांक 26.10.2024 को सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर को सूचना प्राप्त हुई की मोदीनगर निवाडी रोड पर स्थित वेलकम इन ओयो होटल पर होटल संचालक द्वारा महिलाओं को नौकरी का लालच देकर होटल पर बुलाकर महिलाओं से अनैतिक देह व्यापार कराया जाता है। तत्पश्चात सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर द्वारा थाना निवाडी पुलिस को साथ लेकर उक्त होटल से महिलाओं को नौकरी के लिये बुलाकर अनैतिक देहव्यापार कराने वाले होटल के सहसंचालक सुनील कुमार पुत्र महेश चन्द्र निवासी मंडोरा थाना दौराला जिला मेरठ व दो अन्य अभियुक्त 1. अभिषेक पुत्र नवीन शर्मा निवासी भवी थाना जानी जिला मेरठ, 2. नवीन पुत्र जयप्रकाश निवासी मौ0 कस्बा बेगमाबाद थाना मोदीनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, मौके से 01 क्यू आर कोड, 01 एंट्री रजिस्टार, 4890/- रुपये नगद व आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई। मौके से होटल संचालक शिव कुमार पुत्र सोहन सिंह फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। थाना निवाडी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान होटल के सह-संचालक सुनील कुमार उपरोक्त ने बताया कि मैं वेलकम इन ओयो होटल निवाडी में सह-संचालक हूँ होटल का संचालक शिव कुमार पुत्र सोहन सिंह निवासी मौहल्ला जगतपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद है। हम लोग ओयो होटल में महिलाओं को नौकरी का लालच देकर बुलवाते हैं तथा उन महिलाओं से अवैध रुप से देह व्यापार का धंधा कराते है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुनील कुमार पुत्र महेश चन्द्र निवासी मंडोरा थाना दौराला जिला मेरठ, उम्र करीब 30 वर्ष।
2. अभिषेक पुत्र नवीन शर्मा निवासी भवी थाना जानी जिला मेरठ, उम्र करीब 21 वर्ष।
3. नवीन पुत्र जयप्रकाश निवासी मौ0 कस्बा बेगमाबाद थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र, करीब 38 वर्ष। **बरामदगी का विवरण-**

01 क्यू आर कोड, 01 एंट्री रजिस्टार, 4890/- रुपये नगद व आपत्तिजनक वस्तुएं

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर व थाना निवाड़ी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा कुकर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 26.10.2024 को थाना मसूरी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी ही गली में रहने वाले अभियुक्त अन्नू उर्फ अविनाश पुत्र विनोद के द्वारा करीब डेढ वर्ष पहले वादी के नाबालिग भाई को घर से रेलवे लाइन के पास ले जाकर उसके साथ कुकर्म करना तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 27.10.2024 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अन्नू उर्फ अविनाश पुत्र विनोद निवासी मसूरी गाजियाबाद को उघोग कुन्ज रेलवे क्रॉसिंग क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंन करीब डेढ़ वर्ष पहले अपने ही गली में रहने वाले वादी के नाबालिग भाई के साथ गलत काम था तथा उसके मना करने पर मैंने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता -

अन्नू उर्फ अविनाश पुत्र विनोद निवासी मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14.10.2024 को थाना साहिबाबाद पर वादिया द्वारा अभियुक्त आमिर सोहेल पुत्र अशरफ निवासी ई-82 नियर सुनहरी मस्जिद न्यू सीलमपुर थाना सीलमपुर दिल्ली उम्र 23 वर्ष ने वादिया के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी। थाना साहिबाबाद पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया।
थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त आमिर सोहेल पुत्र अशरफ निवासी ई-82 नियर सुनहरी मस्जिद न्यू सीलमपुर थाना सीलमपुर दिल्ली उम्र 23 वर्ष को दिनांक 27.10.2024 को शहीदनगर मैट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

आमिर सोहेल पुत्र अशरफ निवासी ई-82 नियर सुनहरी मस्जिद न्यू सीलमपुर थाना सीलमपुर दिल्ली उम्र 23 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा एटीएम कार्ड बदल कर एटीएम से पैसे चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 53 एटीएम कार्ड व 2300/- रुपये बरामद।

दिनांक 24.10.2024 को थाना लोनी पर वादी राहुल सैनी पुत्र देवेन्द्र निवासी कंचन पार्क लोनी गाजियबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी का एटीएम बदलकर पासवर्ड जानकर 65 हजार रुपये निकाल लिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया व घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।
तत्पश्चात आज दिनांक 27.10.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्तो 1. आमिर पुत्र अकरम निवासी बंगाली

मस्जिद के पास बुद्धनगर नसबंदी कालोनी लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष 2. कादिर पुत्र नूरमौहमम्द निवासी प्रेम नगर लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष को बंथला फ्लाई ओवर थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी के 53 एटीएम कार्ड व 2300/- रुपये बरामद हुये। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण -</u>

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों अपने 02 अन्य साथियों आसिफ व सौहिल के साथ मिलकर अलग-अलग स्थानों पर स्थित भिन्न-भिन्न बैंकों के एटीएम मशीनों के अन्दर व बाहर खडे हो जाते हैं तथा उम्रदराज लोगों को देखकर उनको भ्रमित करके चालाकी से एटीएम कार्ड बदल लेते हैं तथा उनके द्वारा कार्ड से रूपये निकालते समय पासवर्ड को देख लेते हैं तथा एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड लगाने वाली जगह पर हल्का सा चिपकाने वाला पदार्थ लगा देते हैं जिससे लोगों का एटीएम फंस जाता है बाहर नहीं निकलता जब वह व्यक्ति परेशान होता है और मदद मांगता है तो तब हम लोग अन्दर जाकर चोरी से उसका एटीएम कार्ड अपने पास मौजूद एटीएम कार्डों से बदल देते हैं और हम लोग वहां से बदला हुआ एटीएम कार्ड लेकर भाग जाते हैं तथा दूसरे एटीएम मशीन में जाकर उसी एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं तथा हम पूर्व में इसी प्रकार की घटनाएं गाजियाबाद में कई एटीएम पर कर चुके हैं जिनमें से लोनी बंथला फ्लाई ओवर के पास स्थित पीएनबी एटीएम मशीन के अन्दर एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदल कर दिनांक 22.09.2024 को 65 हजार रुपये निकाले थे। चोरी से निकाले गये रूपयों को हम लोगों ने आपस में बांट लिया था जो पैसे हम दोनों के पास से मिले हैं ये उसी में से बचे हुये हैं बाकी पैसे खर्च हो गये।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1. आमिर पुत्र अकरम निवासी बंगाली मस्जिद के पास बुद्धनगर नसबंदी कालोनी लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष ।
2. कादिर पुत्र नूरमौहमम्द निवासी प्रेम नगर लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास /पंजीकृत अभियोग -</u>

अभियुक्तो के विरूद्ध थाना लोनी पर चोरी व बरामदगी के सम्बध मे 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की स्कूटी बरामद।

दिनांक 26.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों 1.राहुल पुत्र अजय निवासी शिव विहार-2 पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद 2. अंकित पुत्र अनिल निवासी शनि चौक जौहरीपुर करावल नगर दिल्ली को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्वाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण –</u>

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमने यह स्कूटी दिल्ली से खरीदी थी जो चोरी की थी जिसे आज हम बेचने के लिये जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-</u>

1. राहुल पुत्र अजय निवासी शिव विहार-2 पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद,उम्र 26 वर्ष।
2. अंकित पुत्र अनिल निवासी शनि चौक जौहरीपुर करावल नगर दिल्ली, उम्र 23 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –</u>

अभियुक्त राहुल के विरूद्ध चोरी, आर्मस एक्ट, चोरी के वाहन बरामदगी के सम्बन्ध में कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त अंकित के विरूद्ध लूट, चोरी के वाहन बरामदगी के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 27.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वांछित गैंगस्टर गैंग लीडर अभियुक्त सुहैल पुत्र अफसर निवासी मौहल्ला बाजीगरान कस्बा डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष को सद् भावना कट डासना थाना वेव सिटी से गिरफ्तार किया गया अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त सुहैल उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है। गैंग लीडर सुहैल आर्थिक लाभ हेतु आम जनता से लूटपाट एवं स्नैचिंग जैसे जघन्य अपराध करके अवैध धन अर्जित करता है। इसके गैंग के कारण आम जनता में भय व आतंक व्याप्त है। जो उ0प्र0 गिरोह बन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की एक्ट की परिधि में आता है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट व स्नेचिंग जैसे अपराध कारित किये हैं जिसमें मैं अपने साथियों के साथ पूर्व में जेल जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता –

सुहैल पुत्र अफसर निवासी मौहल्ला बाजीगरान कस्बा डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरूद्ध गाजियाबाद में लूट के 02 अभियोग पंजीकृत हैं तथा थाना वेव सिटी पर गैंगस्टर अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ व गौकशी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.10.2024 को थाना भोजपुर पर वादी मधुर नेहरा जिला सहसंयोजक बंजरग दल गाजियाबाद द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त 1-अय्यूब कुरैशी पुत्र युनुस 2-अज्जू पुत्र युनुस 3-अनीस पुत्र युनुस निवासीगण कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गाजियाबाद व कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गौकशी करना व भीड़ को देखकर सभी लोगो का मौके से फरार हो जाना के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 23.10.2024 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों 1. दानिश पुत्र रियाजुद्दीन 2. अय्यूब पुत्र यूनुस निवासीगण कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद को पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 27.10.2024 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियोग में वांछित अभियुक्त सारुन उर्फ शाहरुख पुत्र रियाजुद्दीन उर्फ रियाजू निवासी कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गाजियाबाद को अवलपुर बम्बा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं तथा मेरे दोनों साथी गोकशी करने के लिए आये थे और हमारे अन्य साथी गोवंश को लेकर पीछे से आने वाले थे परन्तु पुलिस के द्वारा मुठभेड के दौरान मेरे दोनों साथियों को गोकशी करने से पूर्व ही पकड़ लिया गया था जबकि मैं मौके से भाग गया था। दिनांक 20.10.2024 को शाम के समय हम तीनों तथा अन्य हमारे साथी राशिद पुत्र नजीर निवासी सद्दीकनगर थाना लिसाडी गेट मेरठ हाल पता फत्ते खां का मकान कस्वा फरीदनगर थाना भोजपुर गाजियाबाद, अज्जू पुत्र रियाजुद्दीन उर्फ रियाजू, असजद उर्फ अज्जू पुत्र युनुस, अनीस पुत्र युनुस निवासीगण कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गाजियाबाद हम सभी ने मिलकर कस्बा फरीदनगर के पास ईख के खेत में भी गोकशी की थी मौके पर भीड आने पर हम सभी मौके से फरार हो गये थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

सारुन उर्फ शाहरुख पुत्र रियाजुद्दीन उर्फ रियाजू निवासी कस्बा फरीदनगर गाजियाबाद, उम्र 21 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर गौवध अधिनियम व पुलिस मुठभेड़ के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा बन्द घरों में घुसकर चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त व चोरी का माल खरीदने वाला 01 सुनार गिरफ्तार, कब्जे से 04 लाख रुपये व स्कूटी बरामद।

दिनांक 28.07.2024 को वादी द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के घर का ताला तोड़कर अलमारी में से 150,000/- रुपये, सोने व चाँदी के आभूषण चोरी हो जाने के संबंध में थाना साहिबाबाद पर तहरीर दी गई जिस पर थाना साहिबाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

तत्काल थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा टीमों का गठन कर मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 27.10.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त वकील अहमद पुत्र अब्दुल्ला अहमद निवासी सी-13 गली नं0-2 शिव विहार थाना करावलनगर दिल्ली उम्र 38 वर्ष व चोरी का सामान खरीदने वाला सुनार देवेश वर्मा पुत्र राजनारायण वर्मा निवासी अत्री चक्की वाली गली नियर एनडी जिम लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र- 40 वर्ष को रेलवे स्टेशन साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त वकील अहमद के कब्जे से 55,000/- रुपये व सुनार देवेश वर्मा के कब्जे से 3,45,000/- रुपये बरामद हुए। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण:</u> गिरफ्तार अभियुक्त वकील अहमद ने पूछताछ करने पर बताया कि करीब 03 माहिने पूर्व राजेन्द्रनगर सै0-5 में एक बन्द मकान से रात्रि में सोने व चांदी के आभूषण व 1,50,000/- रूपये की चोरी की थी। चोरी की गयी ज्वैलरी को देवेश वर्मा सुनार को बेच दिया था। तथा उन्ही रूपये से 36,000 रूपये डाउन पेमेन्ट पर यह स्कूटी खरीदी है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:</u>

1.वकील अहमद पुत्र अब्दुल्ला अहमद निवासी सी-13 गली नं0-2 शिव विहार थाना करावलनगर दिल्ली उम्र 38 वर्ष।

2.सुनार देवेश वर्मा पुत्र राजनारायण वर्मा निवासी अत्री चक्की वाली गली नियर एनडी जिम लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बार्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र- 40 वर्ष।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:</u>

- गिरफ्तार अभियुक्त वकील अहमद के विरुद्ध थाना साहिबाबाद व थाना शालीमार गार्डन पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है।

<u>बरामदगी का विवरणः</u>

- कब्जे से 04 लाख रुपये व स्कूटी बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः</u>

- थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार,कब्जे से 06 मोबाइल फोन व चोरी किये गये मोबाइल फोन को बेचकर अर्जित किये गये 3300 रुपये बरामद।

दिनांक 27-10-24 को चेकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा उत्तराचल भवन के पास से 02 शातिर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया , जिसके कब्जे से 06 मोबाइल फोन व चोरी किये गये मोबाइल फोन को बेचकर अर्जित किये गये 3300 रुपये बरामद हुये है, अभि0गण के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>अभियुक्तगण का नाम व पता</u>--

(1) सौरभ गोस्वामी पुत्र राधेश्याम निवासी म0नं0 152 गली नं0 9 नूरनगर सिहानी थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष
(2) वंश शर्मा पुत्र नीरज शर्मा निवासी म0नं0 271 गली नं0 9 नूरनगर थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष

<u>अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास</u>-

अभि0 सौरभ के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर लूट का 01 अभियोग व चोरी के 03 अभियोग, कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।
अभि0 वंश शर्मा के विरुद्ध थाना हाजा पर चोरी के 03 अभियोग पंजीकृत है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम दोनो यह काम पिछले लगभग कई माह से कर रहे है, हम लोग भीड भाड वाले स्थानो पर जाकर लोगो की जेब से मो0फोन चोरी कर लेते है, और फिर उनको सस्ते दामो पर राह चलते लोगो के बेच देते है। तथा मो0फोन बेचकर अर्जित किये गये रुपयो से हम लोग नशे का शौक पूरा करते है।

<u>बरामदगी का विवरण</u>-

(1) मोबाइल फोन रियलमी रंग लाइट ग्रीन
(2) मोबाइल फोन वन प्लस रंग ओलिव ग्रीन
(3) मोबाइल फोन सेमसंग MEI 1– 357874/10122368/0, IMEI 2- 357875/10/222368/7
(4) मोबाइल फोन वीवो IMEI 1 – 864690052717355, IMEI 2- 86469005271348
(5) मोबाइल फोन वन प्लस IMEI 1 – 863382066292770, IMEI 2- 863382066292762
(6) मोबाइल फोन वीवो
(7) चोरी किये गये मो0फोन को बेचकर अर्जित किये गये 3300 रुपये

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।